संख्या-20 /2025/746/30-3-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2025

विषय- निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम हुए वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-120स्टोर्स/इन्फ/2025-02/स्टोर/2020, दिनांक 18 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम हुए 07 वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED की मॉडल-MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 5MT जेम प्राईस पर समस्त करों सहित 01 वाहन रू0 10,23,439.99 एवं मे० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी की Bolero Neo मॉडल N10 OPT BS6.2 जेम प्राईस पर समस्त करों सहित प्रति वाहन रु0 11,00,970.00 की दर से 06 वाहन रू0 66,05,820.00 (रु0 11,00,970.00×06=66,05,820.00) कुल रू0 76,29,259.99 (10,23,439.99 + 66,05,820.00) अर्थात कुल पूर्णांकित धनराशि रू0 76,29,260.00 (रुपया छियत्तर लाख उन्तीस हजार दौ सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश 04 मार्च, 2024 एवं परिवहन विभाग तथा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया वाहन क्रय न किया गया हो।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-''5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-परिवहन आयुक्त कार्यालय-14-मोटर गाडियों का क्रय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-749 -X-2024-25, दिनांक 30 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2025/746(1)/30-3-2025, तददिनॉक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।